संख्या-8/2018/वी.आई.पी.-01/तीस-4-2018-20(31)/2004

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 28 फरवरी, 2018

विषयः- केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-118 के अन्तर्गत परिवहन यानों में स्पीड गर्वनर लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-233, दिनांक 15.04.2015 के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या-3/2016/242/तीस-4-2016-20(31)/2004 दिनांक 19 फरवरी, 2016 द्वारा यह प्राविधान किया गया कि परिवहन यानों में स्थापित किये जाने वाले गति नियंत्रक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक ए0आई0एस0- 018/2001 के अनुरूप होंगे तथा स्पीड गवर्नर को परिचालकों द्वारा स्वयं राज्य स्तर पर चयनित वेंडर से क्रय करके अपने वाहन में स्थापित कराया जायगा, जिसे राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश या संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा सरकारी सील से इस प्रकार सील किया जायेगा कि बिना सील तोड़े इसे हटाया या नुकसान नहीं पहुॅचाया जा सके। उक्त शासनादेश में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि स्पीड गवर्नर के मूल्य लाजिस्टिक सपोर्ट सर्विस सेन्टर आदि की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्पीड गवर्नर लगाये जाने हेतु टेण्डर के माध्यम से वेंडर का चयन कर अधिकृत किया जायेगा तथा ग्राहकों को सुलभ, सुविधाजनक, गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी रूप से दक्ष/अर्ह निविदा दाताओं में से न्यूनतम बोली लगाने वाले वेण्डर का चयन किया जायेगा। इस कार्य हेतु टेण्डर डाक्यूमेंट तैयार करने से लेकर वेण्डर के चयन संबंधी पूर्ण प्रक्रिया हेतु डीम्ट्स (दिल्ली इन्टीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रॉजिट सिस्टम) को परामर्शदाता के रूप में चयनित किया गया था।

2- उक्त के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अनुवर्ती अधिसूचना संख्या-आर0टी0-11017/13/2005-एम0वी0एल0, दिनांक 10.02.2017 में यह प्राविधान किया गया है कि अब परिवहन यानों में गति नियंत्रक लगाने हेतु वेण्डर के चयन के लिये टेण्डर आदि नहीं किया जाना है। अतः भारत सरकार के उक्त दिशा-निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए अब परिवहन यानों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गति नियंत्रक लगाये जाने हेतु कन्सल्टेंट के रूप में चयनित संस्था दिल्ली इन्टीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रॉजिट सिस्टम (डीम्ट्स) को यथावत बनाये रखने का औचित्य नहीं है।

3- अतः उक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त परिवहन यानों में गति नियंत्रक लगाये जाने हेतु टेण्डर के माध्यम से वेण्डर के चयन की प्रक्रिया एवं इस निमित्त परामर्शदाता के रूप में दिल्ली इन्टीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रॉजिट सिस्टम (डीम्ट्स) संस्था को चयनित किये जाने संबंधी पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-3/2016/242/तीस-4-2016-20(31)/ 2004 दिनांक 19 फरवरी, 2016 एवं इसमें निहित प्राविधानों को निरस्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अतः कृपया प्रकरण में तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

ह0/-

आराधना शुक्ला

प्रमुख सचिव

संख्या-8/2018/वी.आई.पी.-01(1)/तीस-4-2018 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-आर0टी0-11017/13/2005-एम0वी0एल0, दिनांक 10.02.2017 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0शासन।
4. परिवहन अनुभाग-1/2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 राकेश वर्मा)

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।